भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 89

22.07.2024 को उत्तर के लिए

वन्य जीवों द्वारा हमला

89. श्री के. राधाकृष्णन:
श्री एंटो एन्टोनी:

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान देश में वन्य जीवों के हमलों के कारण राज्य-वार कुल कितने लोगों की मौत हुई है;

(ख) क्या सरकार ने इस बात पर ध्यान दिया है कि केरल राज्य में वन क्षेत्रों के बाहर जंगली जानवरों विशेषकर हाथी, बाघ और तेंदुओं द्वारा कई लोगों को मार दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो विगत पांच वर्षों के दौरान उक्त राज्य में सामने आई ऐसी घटनाओं का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार की वन्य जीवों के हमलों के शिकार लोगों को दिए जाने वाले मुआवजे में वृद्धि करने की कोई योजना है और यदि हां, तो ऐसी घटनाओं के पीड़ितों को वर्तमान में दिए जाने वाले मुआवजे सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या देश में विशेषकर केरल राज्य में मानव-पशु संघर्ष के संबंध में सरकार का दृष्टिकोण उदार है;

(च) क्या सरकार का वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की अनुसूची-1 में और अधिक वन्य जीवों को शामिल करने का कोई प्रस्ताव है; और

(छ) क्या सरकार ने वन्य जीवों के हमले में मारे गए व्यक्तियों के संबंधियों के लिए किसी विशेष पैकेज की घोषणा की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (ग) मंत्रालय में उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार, पिछले पांच वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों में हाथियों और बाघों के हमले के कारण हुई मानव मौतों का ब्यौरा **संग्लग्नक-I** और **संग्लग्नक-II** में दिया गया है। केरल राज्य के संबंध में उक्त जानकारी अलग से निम्नानुसार दी गई है।

केरल राज्य सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, पिछले पांच वर्षों में हाथियों, बाघों और तेंदुओं सहित वन्य जीवों के हमले के कारण हुई मानव मौतों की संख्या इस प्रकार है:

वर्ष	हाथियों के कारण हुई मौतें	बाघों के कारण हुई मौतें	तेंदुओं के कारण हुई मौतें	अन्य वन्य जीवों के कारण हुई मौतें	कुल
2019-20	13	2	शून्य	77	92
2020-21	27	1	शून्य	60	88
2021-22	35	1	शून्य	78	114
2022-23	27	1	शून्य	70	98
2023-24	12	1	शून्य	71	94

(घ) मंत्रालय ने दिसंबर, 2023 के दौरान वन्य जीवों के हमलों के कारण हुई मौतों या स्थायी अक्षमता के मामले में अनुग्रह राहत की राशि बढ़ा दी है। वर्तमान में केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं - 'वन्यजीव पर्यावासों का विकास', 'बाघ और हाथी परियोजना' के तहत देय अनुग्रह राहत की राशि इस प्रकार है:

क्र.सं.	**वन्य जीवों द्वारा पहुँचाई गई क्षति की प्रकृति**	**अनुग्रह राहत की राशि**
i.	मृत्यु या स्थायी अक्षमता	10.00 लाख रूपए
ii.	गंभीर चोट	2.00 लाख रूपए
iii.	मामूली चोट	उपचार की राशि प्रति व्यक्ति 25,000/- रूपए तक
iv.	संपत्ति/फसलों का नुकसान	राज्य/संघ शासित क्षेत्र सरकारें उनके द्वारा निर्धारित लागत मानदंडों का पालन कर सकती हैं।

(ण) वन्यजीवों का संरक्षण और प्रबंधन मुख्य रूप से राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासन की जिम्मेदारी है। मंत्रालय केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं 'वन्यजीव पर्यावासों का विकास', 'बाघ और हाथी परियोजना' के तहत वन्यजीवों और उनके पर्यावासों के संरक्षण के लिए राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इसमें वन्य जीवों के कारण जान-माल के नुकसान के लिए अनुग्रह राशि का भुगतान शामिल है।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा दिनांक 06.02.2021 को सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए मानव-वन्यजीव संघर्ष की स्थितियों से निपटने के लिए एक परामर्शिका की गई है। परामर्शिका में समन्वित अंतर-विभागीय कार्रवाई, संघर्षों के प्रमुख स्थलों की पहचान, मानक प्रचालन प्रक्रियाओं का पालन, त्वरित प्रतिक्रिया दल की स्थापना, अनुग्रह राशि की मात्रा की समीक्षा के लिए राज्य और जिला स्तरीय समितियों का गठन, शीघ्र भुगतान के लिए

अनुपालन और दिशानिर्देश जारी करना तथा मृत्यु और घायल होने की स्थिति में प्रभावित व्यक्तियों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि के लिए पर्याप्त धनराशि का प्रावधान करने की अनुशंसा की गई है।

मंत्रालय ने फसलों को होने वाले नुकसान सहित मानव-वन्यजीव संघर्ष के प्रबंधन पर दिनांक 03.06.2022 को राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं। इन दिशा-निर्देशों में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को मानव-वन्यजीव संघर्ष से उत्पन्न होने वाली स्थिति जैसे बचाव और राहत अभियान, अनुग्रह राशि प्रदान करना, कानून और व्यवस्था की स्थिति का प्रबंधन आदि से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के प्रावधानों का उपयोग करने पर विचार करने की सलाह दी गई है।

इसके अलावा, मंत्रालय ने दिनांक 21.03.2023 को विभिन्न वन्य जीवों जैसे हाथी, गौर, तेंदुआ, सांप, मगरमच्छ, रीसस मैकाक, जंगली सुअर, भालू, नीलगाय और काला हिरण के कारण होने वाले संघर्षों को कम करने के लिए प्रजाति-विशिष्ट दिशा-निर्देश जारी किए हैं। वन और मीडिया क्षेत्र के बीच सहयोग, मानव-वन्यजीव संघर्ष कम करने के उपायों के संदर्भ में व्यवसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा, मानव-वन्यजीव संघर्ष संबंधी स्थितियों में भीड़ प्रबंधन और मानव-वन्यजीव संघर्ष स्थितियों से उत्पन्न होने वाली स्वास्थ्य आपात स्थितियों और संभावित स्वास्थ्य जोखिमों से निपटने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों के लिए भी दिशा-निर्देश जारी किए गए।

(च) वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 को हाल ही में वर्ष 2022 में संशोधित किया गया है, जिसके तहत अधिनियम से जुड़ी अनुसूची I और II में वन्य जीवों की सूची को युक्तिसंगत बनाया गया है। वर्तमान में, मंत्रालय के पास वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 से जुड़ी अनुसूची I में और अधिक वन्य जीवों को शामिल करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(छ) केंद्रीय सरकार ने दिसंबर, 2023 के दौरान वन्य जीवों के हमलों के कारण होने वाली मौतों के मामले में केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं - 'वन्य जीव पर्यावासों का विकास', 'बाघ और हाथी परियोजना' के तहत देय अनुग्रह राशि को 5.00 लाख रुपये से बढ़ाकर 10.00 लाख रुपये कर दिया है।

*****

संलग्नक-I

हाथियों के कारण मानव मौतों की संख्या

क्र. स.	**राज्य**	**2019 -20**	**2020 -21**	**2021 -22**	**2022 -23**	**2023 -24**
1	आंध्र प्रदेश	4	6	अप्राप्त	5	6
2	अरूणाचल प्रदेश	0	0	2	0	0
3	असम	75	91	63	80	74
4	छत्तीसगढ़	77	42	64	69	51
5	झारखंड	84	74	133	96	87
6	कर्नाटक	30	26	27	29	48
7	महाराष्ट्र	1	अप्राप्त	0	2	5
8	मेघालय	4	6	3	3	7
9	नगालैंड	0	0	0	1	1
10	ओडिशा	117	93	112	148	154
11	तमिलनाडु	58	57	37	43	61
12	त्रिपुरा	2	1	2	2	1
13	उत्तर प्रदेश	6	1	0	4	4
14	उत्तराखंड	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	4	8
15	पश्चिम बंगाल	116	47	77	97	99
कुल		**574**	**444**	**520**	**583**	**606**

* अप्राप्त - राज्य से सूचना प्राप्त नहीं हुई।
* आंकड़ों में वन क्षेत्र से वाहर हुई मानव मौतें भी शामिल है।

संलग्नक-II

बाघों के कारण मानव मौतों की संख्या

क्र. स.	**राज्य**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
1	आंध्र प्रदेश	0	0	0	0	अप्राप्त
2	अरूणाचल प्रदेश	0	0	0	0	अप्राप्त
3	असम	0	0	0	0	अप्राप्त
4	बिहार	0	1	4	9	अप्राप्त
5	छत्तीसगढ़	0	0	0	0	अप्राप्त
6	झारखंड	0	0	0	0	3
7	कर्नाटक	4	0	1	1	अप्राप्त
8	मध्य प्रदेश	1	11	2	3	8
9	महाराष्ट्र	26	25	32	82	10
10	मिजोरम	0	0	0	0	35
11	ओडिशा	0	0	0	0	अप्राप्त
12	राजस्थान	5	0	0	0	अप्राप्त
13	तमिलनाडु	0	1	3	0	अप्राप्त
14	तेलंगाना	0	2	3	0	1
15	उत्तर प्रदेश	8	4	11	11	25
16	उत्तराखंड	2	0	1	3	अप्राप्त
17	पश्चिम बंगाल	3	5	5	1	अप्राप्त
कुल		49	49	59	110	82

अप्राप्त - राज्य से सूचना प्राप्त नहीं हुई।